



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256525
CG-DL-E-21082024-256525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3186]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 3186]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024

का.आ. 3502(अ).— केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में अधिसूचना का.आ. 4595 (अ) तारीख 2 नवंबर, 2021, जो पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए) के गठन को अधिसूचित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

2. उक्त अधिसूचना में, —

(क) क्रम संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी —

1. पशुपालन आयुक्त,

पशुपालन एवं डेयरी विभाग,

मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली;

(ख) क्रम संख्या 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी —

7. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का प्रतिनिधि

जिनका स्तर वैज्ञानिक-एफ की पंक्ति से नीचे का ना हो;

(ग) क्रमांक 9 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा –
 9. डॉ. आर.एस. चौहान,
 पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पशुचिकित्सा विकृतिविज्ञान,
 पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय,
 जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड;

(घ) क्रमांक 12 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा –
 12. डॉ. यशपाल सिंह मलिक,
 संयुक्त निदेशक, मुक्तेश्वर परिसर,
 आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
 मुक्तेश्वर, उत्तराखंड;

(ङ) क्रमांक 16 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा –
 16. डॉ. मदन मोहन चतुर्वेदी,
 सलाहकार सह प्रोवोस्ट, एसजीटी विश्वविद्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा;

(च) क्रमांक 17 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा –
 17. डॉ. सुबीर एस. मजूमदार,
 महानिदेशक, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात;

(छ) क्रम संख्या 20 पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी –
 20. डॉ. एस.जी. रामचंद्र,
 मुख्य अनुसंधान वैज्ञानिक, केंद्रीय पशु सुविधा,
 भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर।

[फा. सं. V-11011(14)/3/2021-सीपीसीएसईए- डीएडीएफ]

डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए) का अंतिम बार गठन अधिसूचना का.आ. 4595 (अ) तारीख 2 नवंबर, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2024

S.O. 3502(E).— In exercise of the powers conferred by section 15(1) of the Prevention of Cruelty of Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying Number S.O 4595 (E) dated 2nd November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) notifying the constitution of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA), namely:—

2. In the said notification,—

(a) at entry related to the serial number 1 following entries shall be inserted—

1. Animal Husbandry Commissioner,
 Department of Animal Husbandry & Dairying,
 Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, New Delhi;

(b) at entry related to the serial number 7 following entries shall be inserted—

7. Representative of Indian Council of Medical Research, New Delhi
not below the rank of Scientist – F;

(c) Serial Number 9 may be read as—

9. Dr. R.S. Chauhan,
Former Professor & Head, Veterinary Pathology,
College of Veterinary & Animal Sciences,
G. B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand;

(d) Serial Number 12 may be read as—

12. Dr. Yashpal Singh Malik,
Joint Director, Mukteshwar Campus,
ICAR-Indian Veterinary Research Institute,
Mukteswar, Uttarakhand;

(e) Serial Number 16 may be read as—

16. Dr. Madan Mohan Chaturvedi,
Advisor cum Provost, SGT University, Gurugram, Haryana;

(f) Serial Number 17 may be read as—

17. Dr. Subeer S. Majumdar,
Director General, Gujarat Biotechnology University, Gandhinagar, Gujarat;

(g) at Serial Number 20 following entries shall be inserted—

20. Dr. S.G. Ramachandra,
Chief Research Scientist, Central Animal Facility,
Indian Institute of Science, Bangalore.

[F. No. V-11011(14)/3/2021-CPCSEA-DADF]

DR. O. P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

Note: The last notification for the constitution of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) was issued vide S.O 4595 (E) dated 2nd November, 2021.